



गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)

GAIL (India) Limited

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

आर. टी. - हरिद्वार
ज्वालापुर-249407
(उत्तराखण्ड)

R. T. -Haridwar
Jwalapur-249407
(Uttarakhand)

फैक्स / FAX : +91 11 26185941
info@gail.co.in

No.-GAIL/HRDPL/DEHRADUN-DFO/2022

Date:- 25.06.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

देहरादून वन प्रभाग,

देहरादून, उत्तराखंड।

विषय :- जनपद देहरादून के ग्राम कुआंवाला में हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग-72 के ROW के भीतर से गेल के प्रस्तावित गैस रिसीविंग टर्मिनल स्टेशन के लिये एप्रोच निर्माण हेतु 0.0132 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों के लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- 1) आपका पत्रांक संख्या - 3272 / 12-1 , दिनांक - 28.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद देहरादून के ग्राम कुआंवाला में गेल के गैस रिसीविंग टर्मिनल के एप्रोच रोड के निर्माण के लिये 0.0312 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के लिए आपके पत्र सं० 3272/12-1 दिनांक 28मार्च,2022 में के अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है जिनका विवरण निम्न है :-

अधोलिखित शर्तें	अनुपालन/निराकरण
1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	शर्तसंख्या-1के अनुसार आवश्यक धनराशि को जमा कर दिया गया है जिसकी छायाप्रति सलग्न है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ० - सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्तसंख्या-1के अनुसार आवश्यक धनराशि को जमा कर दिया गया है जिसकी छायाप्रति सलग्न है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० के दर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या -3 के अनुसार- सक्षम स्तर से यदि एन० पी० वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि को गेल(इंडिया)लिमिटेड जमा करने के लिये वचनबचनवद्ध है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है)

पंजीकृत कार्यालय :
गेल भवन, 16 भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, इंडिया

REGD. OFFICE:
GAIL BHAWAN, 16, BHIKAJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA

Page-1

सीआईएन / CIN
L40200DL1984GOI018976
www.gailonline.com

<p>4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0-5- 3/2007-एफ0 -सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 -एस0 बी0 - 25229 कापोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम),ब्लाक -11 भूतल सी0 जी0 ओ0 काम्लेक्स , फेज-1 ,लोधी रोड़ ,नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति ,जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0 पी0 वी0 क्षतिपूरण वृक्षरोपणब्लाक -11 भूतल सी0 जी0 ओ0 काम्लेक्स , फेज-1 ,लोधी रोड़ ,नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति ,जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0 पी0 क्षतिपूरण वृक्षरोपण,प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी ।</p>	<p>शर्तसंख्या-1केअनुसार आवश्यक धनराशि को जमा कर दिया गया है जिसकी छायाप्रति सलंग्न है ।</p>
<p>5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल के संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझाव का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।</p>	<p>अनुपालन किया जायेगा ।</p>
<p>6. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा ।</p>	<p>अनुपालन किया जायेगा ।</p>
<p>7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।</p>	<p>गेल(इंडिया)लिमिटेड इस से सहमत है।</p>
<p>8. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगा कर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा । मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा । मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी ।</p>	<p>अनुपालन किया जायेगा ।</p>
<p>9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा । जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिए गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी ।</p>	<p>अनुपालन किया जायेगा ।</p>
<p>10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी ।</p>	<p>गेल(इंडिया)लिमिटेड इस से सहमत है।</p>
<p>11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लेखित समस्त शर्तों की बिंदुवार अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जायेगी ।</p>	<p>अपलोड कर दी गयी है ।</p>

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त को संज्ञान में लेते हुए गैस रिसीविंग टर्मिनल स्टेशन के एग्रोच रोड निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाये ।

धन्यवाद ,

भवदीय,
राजीव बनर्जी

राजीव बनर्जी
वरिष्ठ प्रबंधक(PE)

सलंग्न : उपरोक्त अनुसार ।

परियोजना का नाम— हरिद्वार—देहरादून पाइपलाइन :-जनपद देहरादून ग्राम कुआंवाला में हरिद्वार —
देहरादून राजमार्ग 72 के ROW के भीतर गेल के प्रस्तावित गैस रिसीविंग
टर्मिनल स्टेशन के लिए एप्रोच रोड निर्माण हेतु देहरादून वन प्रभाग में 0. 0132
हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

सक्षम स्तर से यदि एन0 पी0 वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि को गेल(इंडिया)लिमिटेड जमा करने के लिये वचनबचनवद्ध है

धन्यवाद

ह0/ रा. डि. व. व. न. डि.
गेल इंडिया लिमिटेड
प्रयोक्ता एजेन्सी

